महर्षिपाणिनिसंस्कृतवैदिकविश्वविद्यालयः

MAHARSHI PANINI SANSKRIT EVAM VEDIC VISHWAVIDYALAYA
(देवासमार्गः, उज्जयिनी (मध्यप्रदेशः) 456010

E-mail-regpsvvmp@rediffmail.com, Website www.mpsvv.ac.in

क्र./मपासंविवि/कुस/2023 दिनांक : 11 / 05 /2023

निविदा आमंत्रण

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सुरक्षाकर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, माली, रसोइया, सफाईकर्मी रखने हेतु सुयोग्य कर्मचारियों की आवश्यकता है। कार्य में सुलभता हेतु स्थानीय एजेन्सी को वरियता दी जायेंगी। इस हेतु निम्नांकित कार्यों / शर्तों के अधीन निविदाकार को कार्य करना होगा। निविदा हेतु आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 30-05-23.सायं 5:00 बजे तक रहेगी, इसके पश्चात आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के कार्य हेतु एजेन्सी से निम्नलिखित अपेक्षाएं की जाती है :-

1. समस्त कर्मचारियों को कुशलता पूर्वक कार्य करने का अनुभव हो एवं विश्वविद्यालय होने के कारण समस्त छात्रों से अनुशासन का ध्यान रखते हुए कार्य किया जाना होगा।
2. सुरक्षाकर्मी को प्रत्येक छात्र के साथ अच्छे आचरण का परिचय देना होगा साथ ही सुरक्षाकर्मी को रिलीवर के आने पर ही पाईन्ट छोड़ना तथा किसी भी प्रकार के नशे / तम्बाकु / गुटखा / धुम्रपान / जुआ / सट्टा या अन्य अनैतिक गतिविधियों में यदि सुरक्षाकर्मी लिप्त पाया जाता है इस का अंतिम दायित्व निविदाकार का होगा।
3. रात्रिकालीन ड्यूटी के समय कुलपति आवास एवं विश्वविद्यालय परिसर में पहरा देना होगा।
4. यह निविदा उन सभी निविदाकारों, जो निर्धारित शर्तों पर पूर्ण रुप से उपरोक्त योग्यता / आवश्यकता को पूरा करने वाले सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने में सक्षम हो, उनके लिये खुला है।
5. कम्प्यूटर आपरेटर को यूनीकोड एवं अंग्रेजी टाईपिंग के साथ कोरलड्रा एवं फोटोशॉप में करने का ज्ञान होना अनिवार्य है।

अनुसूची-1

समिति को निम्न तालिका अनुसार सुरक्षाकर्मी/ कर्मचारियों की आवश्यकता है।

क्र	पद नाम	संख्या	शिफ्टों की संख्या	प्रस्तावित पदस्थली का स्थान
1	सुरक्षा कर्मी	कुल 03	8 घंटे प्रति शिफ्ट / प्रति व्यक्ति, कुल 3 शिफ्ट्स	विश्वविद्यालय परिसर / कुलपति आवास / निर्दिष्ट स्थान
2	कंप्यूटर ऑपरेटर / पुस्तकालय सहायक	कुल 05	प्रातः 10 बजे से सांय 06 बजे तक	विश्वविद्यालय परिसर
3	माली एवं कुक	कुल 03	8 घंटे	विश्वविद्यालय परिसर एवं कुलपति आवास
4	सफाई कर्मी	कुल 03	8 घंटे	विश्वविद्यालय परिसर एवं कुलपति आवास
5	चतुर्थ श्रेणी अकुशल कर्मचारी	कुल 03	प्रातः 10 बजे से सांय 06 बजे तक	विश्वविद्यालय परिसर एवं कुलपति आवास

आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मीयों/कर्मचारियों को घटाया/बढाया जा सकेगा। कार्य की श्रमसाध्य कठोरता के कारण फिजिकली फिट सुरक्षाकर्मी को प्राथमिकता दी जावेगी।स्थान एवं दिनांक 11.05.23

कुलसचिव

निविदा ऑफर प्रस्तुतीकरण –

बिड प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक निर्देश

कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी 'अनुसूची-।' में अंकित है। 'अनुसूची-।' अनुसार कार्यालयीन समय के बीच प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक प्रस्तुत की जाये। किसी अन्य ऑफर पर विचार नहीं किया जावेगा।सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा प्रपत्र, प्रक्रिया, विनिर्देशों, नियमों और शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया जावे, अन्यथा उनकी किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा / ऑफर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता के संबंध में यह माना जायेगा कि उनके द्वारा समस्त नियमों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है, एवं कार्य के लिये सहमत है। किसी भी सुझाव आपत्ति के लिये इच्छुक निविदाकर्ता द्वारा प्रस्ताव दिनांक 25.05.23 के पूर्व तक ई मेल द्वारा भेजा जाये।

यह ऑफर ऑफलाईन दो लिफाफा पद्धति पर आधारित है।

नोट - निविदाकार को निविदा आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 5000/- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भुगतान प्रक्रिया के अंतर्गत करते हुए रसीद संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी।

1 Pre-qualifications (Envelope A) प्रोपराइटरशिप

1. निविदाकार का कंपनी (कंपनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत) / संस्था / फर्म होना अनिवार्य होगा।
2. कंपनी / संस्था / फर्म का सुरक्षा कार्य हेतु प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति। (पसारा)
3. पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक टर्नओवर 30 लाख से अधिक का होने का सी ए द्वारा प्रमाण पत्र।
4. **अमानत राशि रूपये 25000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) डी.डी. के माध्यम से जमा की जाना होगी। यह राशि कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के नाम से देय होगी।**
5. कंपनी / संस्था / फर्म का आयकर पेन कार्ड, स्थापना प्रमाण पत्र, वाणिज्यकर विभाग से जारी जी एस टी नम्बर पंजीकरण की अद्यतन प्रति।
6. कंपनी / संस्था / फर्म का न्यूनतम पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2018-19, 19-20. 20-21) के भारत के शासकीय / अर्धशासकीय उपक्रम में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का अनुभव एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र की प्रति एवं कम से कम 50 या उससे अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात करने का एकल कार्यादेश की प्रति।
7. कंपनी / संस्था / फर्म के विगत तीन वित्तीय वर्ष (वर्ष 2017-18, 18-19 19-20) के आयकर रिर्टन की कॉपी।
8. कंपनी / संस्था / फर्म का ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. सी. (ESIC) के पंजीयन का अद्यतन प्रमाण पत्र तथा निविदाकार द्वारा विगत तिमाही में EPF तथा ESIC हेतु जमा किये गये चालान तथा ECR की छायाप्रति (प्रथम विवरणी पृष्ठ)
9. 500 रु के स्टाम्प पर शपथ पत्र यह कि कंपनी / संस्था / फर्म या उसके प्रोप्रायटर पर कोई पुलिस केस प्रचलित नहीं है और उनकी फर्म को कभी किसी भी शासकीय / गैर शासकीय संस्था द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।
10. निविदा में प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेज, निविदाकार द्वारा स्वप्रमाणित (मय सील साईन) किया जाना आवश्यक होगा।

2

अ (Envelope A) में वांछित समस्त दस्तावेज कार्यालयीन समय (राजपत्रित अवकाश दिवसों को छोड़कर) में ही स्वीकार किये जायेंगे।

ब (Envelope B) में प्राईस / ऑफर बिड प्रस्तुत की जावे। लिफाफा "ए" में दर के संबंध में उल्लेख नहीं किया जायेगा अन्यथा टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।

(Envelope C) में Envelope A + B पृथक-पृथक सीलबंद कर कार्यालयीन समय ही प्रस्तुत किया जाये। निर्धारित प्रारूप अंतर्गत दरें प्रस्तुत की जाये।

सर्वप्रथम लिफाफा "ए" खोला जायेगा। अपेक्षित रूप में अमानत राशि एवं दस्तावेज पाये जाने पर समिति / सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विश्लेषण पश्चात पात्र कंपनी / संस्था / फर्म के लिफाफा "बी" खोला जायेगा। प्राप्त दस्तावेज और वित्तीय ऑफर न्यूनतम दर के मूल्यांकन के आधार पर कंपनी / संस्था / फर्म का चयन किया जावेगा।

3 अनुबंध की अवधि –

निविदा / अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक की रहेगी। उक्त अवधि अतिरिक्त एक वर्ष तक (कार्य की गुणवत्ता के आधार पर छः छः माह) बढ़ायी जा सकेगी।

4 प्रस्ताव की वैधता –

प्राईस बिड खोली जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि (नयी निविदा प्राप्त न होने की स्थिति में अधिकतम 180 दिवस तक बढ़ाया जा सकेगा.) के लिये प्रस्ताव वैध रहेगा। निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा।

5 अमानत / सुरक्षा निधि राशि

सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध के साथ सुरक्षानिधि की राशि रूपये 250000/- (दो लाख पच्चास हजार) का डी.डी. की राशि अनुबंध के पश्चात वापस की जावेगी तथा अन्य निविदादाताओ की EMD नियमानुसार वापसी योग्य होगी।

6 अमानत राशि की वापसी -

असफल निविदादाताओं की EMD सफल निविदादाता के साथ अनुबंध निष्पादन के पश्चात वापसी योग्य होगी। सफल निविदादाता की EMD अनुबंध पर हस्ताक्षर उपरांत बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर वापसी योग्य होगी।

अमानत राशि निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से जब्त की जावेगी –

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित वैधता अवधि के पूर्व निविदादाता द्वारा अपना प्रस्ताव वापस लिया जाता है।
2. निविदादाता अपने प्रस्ताव के स्पष्टीकरण के लिये समिति के अनुरोध का जवाब प्रस्तुत नहीं करता है।
3. निविदादाता आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में असफल होता है अथवा गैर उत्तरदायी रवैया पाया जाता है।
4. सफल निविदादाता के मामले में वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।
5. निविदादाता यदि कार्य आदेश की समयावधि जो की कार्य आदेश में उल्लेखित होगी यदि अवधि में कार्य प्रारंभ नहीं करता है तो सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. शर्त क्र 5 का पालन नहीं होने पर प्रस्ताव की वैद्यता 180 दिन के अंदर L2 या L3 से अनुबंध के साथ कार्य करवाया जा सकेगा।

2

अ. (Envelope A) में वांछित समस्त दस्तावेज कार्यालयीन समय (राजपत्रित अवकाश दिवसों को छोड़कर) में ही स्वीकार किये जायेंगे।

ब. (Envelope B) में प्राईस / ऑफर बिड प्रस्तुत की जावे। लिफाफा "ए" में दर के संबंध में उल्लेख नहीं किया जायेगा अन्यथा टेण्डर निरस्त कर दिया जायेंगा।

(Envelope C) में Envelope A + B पृथक-पृथक सीलबंद कर कार्यायलीन समय ही प्रस्तुत किया जाये। निर्धारित प्रारूप अंतर्गत दरें प्रस्तुत की जाये।

सर्वप्रथम लिफाफा "ए" खोला जायेगा। अपेक्षित रूप में अमानत राशि एवं दस्तावेज पाये जान पर समिति / सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विश्लेषण पश्चात पात्र कंपनी / संस्था / फर्म क लिफाफा "बी" खोला जायेगा। प्राप्त दस्तावेज और वित्तीय ऑफर न्यूनतम दर के मूल्यांकन के आधार पर कंपनी / संस्था / फर्म का चयन किया जावेगा।

3 अनुबंध की अवधि –

निविदा / अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक की रहेगी। उक्त अवधि अतिरिक्त एक वर्ष तक (कार्य की गुणवत्ता के आधार पर छ: छः माह) बढ़ायी जा सकेगी।

4 प्रस्ताव की वैधता –

प्राईस बिड खोली जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि (नयी निविदा प्राप्त न होने की स्थिति में अधिकतम 180 दिवस तक बढ़ाया जा सकेगा.) के लिये प्रस्ताव वैध रहेगा। निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा।

5 अमानत / सुरक्षा निधि राशि

सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध के साथ सुरक्षानिधि की राशि रूपये 250000/- (दो लाख पच्चास हजार) का डी.डी. की राशि अनुबंध के पश्चात वापस की जावेगी तथा अन्य निविदादाताओ की EMD नियमानुसार वापसी योग्य होगी।

6 अमानत राशि की वापसी -

असफल निविदादाताओं की EMD सफल निविदादाता के साथ अनुबंध निष्पादन के पश्चात वापसी योग्य होगी। सफल निविदादाता की EMD अनुबंध पर हस्ताक्षर उपरांत बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर वापसी योग्य होगी।

अमानत राशि निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से जब्त की जावेगी –

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित वैधता अवधि के पूर्व निविदादाता द्वारा अपना प्रस्ताव वापस लिया जाता है।
2. निविदादाता अपने प्रस्ताव के स्पष्टीकरण के लिये समिति के अनुरोध का जवाब प्रस्तुत नहीं करता है।
3. निविदादाता आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में असफल होता है अथवा गैर उत्तरदायी रवैया पाया जाता है।
4. सफल निविदादाता के मामले में वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।
5. निविदादाता यदि कार्य आदेश की समयावधि जो की कार्य आदेश में उल्लेखित होगी यदि अवधि में कार्य प्रारंभ नहीं करता है तो सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. शर्त क्र 5 का पालन नहीं होने पर प्रस्ताव की वैद्यता 180 दिन के अंदर L2 या L3 से अनुबंध के साथ कार्य करवाया जा सकेगा।

7. **निरहता (डिसक्वालिफिकेशन)** –

कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन को यह अधिकार कि वह किसी भी निविदादाता को प्रस्ताव के मूल्यांकन के दौरान या कार्य अवार्ड के बाद किसी भी समय अयोग्य घोषित कर सकता है यदि –

- निविदादाता द्वारा वांछित प्री क्वालिफिकेशन की पूर्ति नहीं की जाती है।
- निविदादाता द्वारा वांछित पात्रता दस्तावेज की पूर्ति में भ्रामक / झूठा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो।
- निविदादाता द्वारा ठीक से कार्य नही करने के कारण उससे कार्य वापस ले लिया गया हो या उसके द्वारा अधूरा कार्य छोड़ दिया गया हो या खराब प्रदर्शन रहा हो और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया हो।

८. **प्रस्ताव का मूल्यांकन** –

सर्वप्रथम निविदादाताओं की तकनीकी निविदा में प्राप्त दस्तावेजो का परीक्षण निविदा समिति द्वारा किया जायेगा। तकनीकी रूप से योग्य निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदाएं खोली जायेगी। अंतिम निविदा का चयन वित्तीय निविदा में L1 पद्धति के आधार पर किया जावेगा।

9. **सेवाप्रदाता का चयन** –

विश्वविद्यालय द्वारा गठित क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार गठित समिति में के परीक्षण उपरांत कार्यपरिषद के अनुमोदन के बाद रखा जायेगा।

प्रस्तावना राशि (ऑफर बिड) - निविदाकार को म.प्र. शासन के नियमानुसार जारी न्यूनतम दैनिक वेतन दर के भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का होगा। EPF ESIC, Bonus का भुगतान वास्तविक अंशदान, प्रस्तुत दस्तावेजो के तहत किया जावेगा इन सभी देय अंशदान पर पृथक से सेवा शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।

उदाहरणत :- निविदाकार द्वारा प्रतिमाह देयक प्रस्तुत करने का प्रकार

प्रस्तुत दर	विवरण
minimum wages	भुगतान नियमानुसार
P.F.	
E.S.I.C.	
G.S.T.	
Service Charges	................................%

10. **अनुबंध की समाप्ति** –

स्वीकृतः निविदादाता द्वारा प्रदाय / लगाये जाने वाले सुरक्षाकर्मी/ कर्मचारी का निरीक्षण पर्यवेक्षण समय - समय पर कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा

किया जायेगा यदि एजेन्सी द्वारा सुरक्षाकर्मी समय पर उपलब्ध नही कराये जाते है या अन्य कोई शर्तों उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन को यह अधिकार होगा की वह निर्धारित अनुबंध अवधि के भीतर भी निविदादाता को युक्तियुक्त दिवस के नोटिस के उपरांत यथोचित कार्यवाही के पश्चात अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा तथा एजेंसी की रिस्क एण्ड कास्ट पर शेष अवधि में कार्य कराया जाये तथा रिस्क कास्ट की राशि की वसूली एजेंसी की जमा राशि से वसूल कर ली जाने संबंधी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

11. प्री साईट विजिट :-

निविदाकर्ता निविदा डालने से पूर्व इच्छुक निविदाकार महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के परिसर एवं कुलपति आवास में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था की परिस्थितियों एवं वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन कर सभी जानकारी प्राप्त कर लें। जो निविदा प्रस्तुत करने में सहयोगी होगी। निविदा खुलने के बाद किसी प्रकार की आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

12. विवाद समाधान प्रक्रिया –

यह कि इस अनुबंध की संरचना एवं व्याख्या भारतीय कानून द्वारा शासित है। इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवादों का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

टेण्डर एवं अनुबंध की सामान्य शर्ते

अनुसूची-1 में उल्लेखित कार्य / सेवा अनुसार कार्य की दर दी जाना अनिवार्य है।

1. संबंधित निविदादाता टेण्डर डाक्यूमेंन्ट एवं अनुबंध में लिखित शर्तों का गहन अध्ययन के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करे।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा टेण्डर की समस्त शर्तों का भली भांति अध्ययन कर समझ लिया गया है।
3. टेण्डर प्रस्तुत करने के पश्चात इच्छुक तथा भाग लेने वाले निविदादाता की कोई भी आपत्ति आदि पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन को सपूर्ण टेण्डर अथवा टेण्डर के किसी भाग / कार्य को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है।
5. टेण्डर में उल्लेखित विवरण में परिवर्तन करने का अधिकार कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन को रहेगा तथा निविदादाता को विवरण अनुसार ही दर प्रस्तुत करना होगी।
6. कार्य उपरांत भुगतान के समय निर्देशानुसार वांछित आयकर, वाणिज्यकर, जी एस.टी. EPF, ESIC आदि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

... किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नही किया जायेगा तथा अन्य सभी प्रकार के शासन द्वारा ..., परन्तु सम्पूर्ण अनुबंध अवधि में निर्धारित वैधानिक दायित्वों / कर में परिवर्तन होने पर नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।

8. सुरक्षाकर्मियों एवं कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी।
9. टेण्डर माध्यम से कार्य के मान से दरें आमंत्रित की जा रही है। कार्यादेश अनुसार कर्मचारी प्रदाय / कार्य किया जाना होगा, इसमें किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।
10. सुरक्षा निधि की राशि कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही नियमानुसार वापस की जायेगी। जमा सुरक्षा निधि राशि / EMD पर किसी भी प्रकार का ब्याज नही दिया जावेगा।
11. निविदादाता को दर स्वीकार करने की सूचना मिलने पर निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में अनुबंध पत्र संपादित कराना होगा। अनुबंध पत्र पर होने वाला व्यय निविदादाता द्वारा वहन किय जावेगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध संपादित नहीं करने पर संबंधित की जमा EMD राजसात कर ली जायेगी।
12. अनुबंध भी निविदा प्रपत्र की शर्तों का एक भाग है अनुबंध में उल्लेखित शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक होगा।
13. दिये गये कार्य को न्यूनतम एवं गुणवत्ता निविदादाता द्वारा पूरा करने में सक्षम नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में निविदा में सम्मिलित द्वितीय न्यूनतम दर दाता से प्रथम न्यूनतम दर पर कार्य कराया जा सकता है जिसमें प्रथम न्यूनतम निविदाकार को आपत्ति करने का कोई अधिकार नही रहेगा।
14. न्यूनतम निविदादाता को कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी / सुरक्षा अधिकारी / निरीक्षक द्वारा दिये गये आदेश/निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा यदि दिये गये आदेश / निर्देश का उल्लंघन करने पर या निविदा / अनुबंध पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा संबंधित का टेण्डर निरस्त किया जा सकेगा तथा निविदादाता की जमा सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जायेगी। इस संबंध में निविदादाता को आपत्ति करने या क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
15. विधि में परिवर्तन के कारण या शासन आदेश के पालन में या किन्ही अप्रत्याशित / अपरिहार्य कारणों से यदि कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा टेण्डर निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संबंधित को किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करने / क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
16. सभी सलग्न दस्तावेज जो इस निविदा में प्रेषित किए गए है ये सभी स्वप्रमाणित होने चाहिए। निविदादाता द्वारा इस हेतु प्रमाणकर्ता को पॉवर ऑफ अटार्नी दिया जाना अपेक्षित है।
17. कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन को यदि किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि संबंधित न्यूनतम निविदादाता (फर्म) को राज्य सरकार / केन्द्र सरकार या अन्य विभाग द्वारा प्रतिबंधित / निविदा निरस्त, ब्लेकलिस्टेड किया गया है तो कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाकर अनुबंध समाप्त किया जाकर सुरक्षा निधि / अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का निर्णय अंतिम होकर बंधनकारी रहेगा एवं न्यायालयीन बाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

निविदा की विशेष शर्तें

1. निविदादाता को किसी भी प्रकार का एडवान्स भुगतान नहीं किया जायेगा। कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा नियमानुसार प्रस्तुत बिलों का भुगतान किया जायेगा।
2. बिल में उल्लेखित राशि में से नियमानुसार टैक्स एवं एस.डी. कटौत्रा किया जाकर राशि का भुगतान किया जायेगा।
3. निविदाकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की प्रतिदिन उपस्थिति अनिवार्य होगी. प्रतिनिधियों की सूची मय फोन नं. के विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवायेंगे।
4. (अ) कार्य की अवधि 24 घंटे 7 दिवस (8 घंटे प्रति शिफ्ट) के मान से निर्धारित रहेगी। ठेकेदार को 8 घंटे प्रति कर्मचारी के मान से भुगतान किया जावेगा। प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश दिये जाने हेतु रेस्ट रिलीवर भी नियुक्त किया जाना होगा। प्रतिदिन के मान से कुल उपस्थिति / माह के दिवस का ही भुगतान किया जावेगा। रिलिवर नियुक्त करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
   (ब) किसी भी सुरक्षाकर्मी से एक दिन में 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जायेगा तथा न ही विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्य (ओवरटाईम) का भुगतान किया जायेगा।
5. सुरक्षा एजेन्सी सुरक्षाकर्मी के आने जाने के समय और उनकी गतिविधियों का सम्पूर्ण रिकार्ड बायोमेट्रिक / पंजी रखना सुनिश्चित करेंगे, रिकार्ड पंजी पेश करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
6. निविदाकर्ता बीडर अपनी दरें कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक वेतन दरें (26 कार्य दिवसों के मान से) श्रम विभाग के निर्देशो का पालन करते हुए दर्शायेगी। इसके अतिरिक्त श्रम नियमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैधानिक प्रावधानों यथा ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी. बोनस अधिनियम, साप्ताहिक अवकाश इत्यादि की नियोक्ता की अंशदान की दरें प्रचलित दरों के अनुरूप होगी। तथा वैधानिक दरों में किसी प्रकार का प्रलोभन / ऑफर / कम अथवा गलत दर प्रतिशत किसी भी दशा में मान्य नही है। भविष्य मे न्यूनतम वेतन दर अथवा वैधानिक दायित्वों, कर दरो में होने वाली वृद्धि के अनुसार कर्मचारियों को भुगतान करना आवश्यक होगा। भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वैधानिक दायित्वों / करों की राशि जारी की जावेगी।
7. सुरक्षा एजेंसी द्वारा पूर्व कार्यस्थल का संतुष्टि प्रमाण हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जानकारी असत्य होने पर निविदा तुरन्त समाप्त कर दी जावेगी तथा अमानत / सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जावेगी।
8. सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों के ईपीएफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा करने का संपूर्ण उत्तरदायित सुरक्षा एजेंसी का होगा तथा प्रत्येक आगामी माह में ई.पी.एफ एवं ई एस.आई. एवं जी एस टी की जमा राशि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात् ही बिल भुगतान किया जावेगा।
9. निविदाकार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को दिया जाने वाले वेतन का भुगतान सीधे खाते में किया जावेगा। किये गये भुगतान के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अभाव में देयक भुगतान विलम्बित का उत्तरदायित्व स्वयं निविदाकर्ता का होगा।

10. निविदादाता / ठेकेदार को श्रम नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। श्रम नियमानुसार समस्त प्रकार के लाभ दिये जाने एवं कटौत्रा किये जाने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार / निविदादाता की रहेगी। भविष्य निधि अंशदान कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान का कटौत्रा किये जाने एवं उन्हें जमा किये जाने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/निविदादाता की रहेगी। कटोत्रा जमा के संबंध में जानकारी दी जाना होगी।

12. उक्त शर्तें सामान्य ज्ञान पर आधारित है, सुरक्षा संबंधित कोई विशेष तथ्य सज्ञान में आने पर ठेकेदार को उसका पालन किया जाना आवश्यक होगा।
13. सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा सुरक्षाकर्मचारी एवं कर्मचारियों की प्रस्तुत बायोमेट्रिक उपस्थिति चार्ट में चेक इन एवं चेक आउट दो समय का उल्लेख होना अनिवार्य हेतु चेक आउट या चेक इन का उल्लेख न हो पर उक्त सुरक्षाकर्मी को गैरहाजिर समझा जाकर अनुपस्थित माना जायेगा।
14. बायोमेट्रिक मशीन (थम्ब इम्प्रेशन / फेसरिडिंग) में खराबी की दशा में सुरक्षा एजेन्सी को एक अतिरिक्त स्टेण्ड बाय बायोमेट्रिक मशीन रखना अनिवार्य होगी बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति के एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा।
15. सुरक्षाकर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान मोबाईल का उपयोग नहीं किया जायेगा।
16. निविदाकार 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक के सुरक्षाकर्मी एवं सुपरवाईजर तैनात नहीं करेगा तथा किसी भी कर्मचारी का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिये तथा आपराधिक रिकार्ड वाले सुरक्षाकर्मी नही रखे जाये इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना अनिवार्य होगा।
17. प्रत्येक निविदाकार द्वारा प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को मजदूरी अधिनियम 1936 न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट 1938 कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत क्षतिपूर्ति, क्लेम, नुकसान भरपाई या समय समय शासन द्वारा संशोधित नियमों के तहत लाभ दिया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
18. यदि विश्वविद्यालय की किसी भी सामग्री को सुरक्षाकर्मी की चूक के कारण नुकसान पहुंचता है और यह विश्वविद्यालय द्वारा जांच करने पर सिद्ध पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त सामग्री के बाजार मूल्य से पांच गुना राशि निविदाकार के उक्त माह के देयक से काटी जावेगी सामग्री की प्रतिपूर्ति की राशि निविदाकार से वसूल की जावेगी।
19. सुरक्षा की दृष्टि से विश्वविद्यालय परिसर की किसी भी प्रकार की गोपनीय जानकारी / सूचना , यदि किसी सुरक्षाकर्मी के द्वारा सार्वजनिक की जाती है तो उक्त सुरक्षाकर्मी को हटाये जाने व उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन को होगा। तथा उक्त सुरक्षाकर्मी के स्थान पर सुरक्षाकर्मी को तत्काल उपलब्ध कराने का दायित्व निविदाकार का होगा। उपलब्ध न कराये जाने की दशा में 400/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मान से उक्त माह के देयक से कटौत्र जावेगा।
20. यदि ड्यूटी के समय कोई भी सुरक्षाकर्मी नशा / पान / गुटखा / धूम्रपान / जुआ / सट्टा / अनुशासन हीनता / अभद्रता या अन्य किसी भी प्रकार की विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने वाली अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय,उज्जैन या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा तथा उक्त सुरक्षाकर्मी के स्थान पर नवीन सुरक्षाकर्मी को तत्काल उपलब्ध कराने का दायित्व निविदाकार का होगा। उपलब्ध न कराये जाने की दशा में 400/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मान से उक्त माह के देयक से कटौत्र जावेगा।
21. निविदाकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को प्रतिदिन निर्धारित साफ सुथरे गणवेश, दाड़ी व कटिंग बनाकर आना अनिवार्य होगा। न आने की दशा में प्रत्येक दिवस के मान से 200/- प्रति सुरक्षाकर्मी का दण्ड अधिरोपित किया जायेगा जो की उक्त माह के देयक से काटा जायेगा।

22. देयक प्रस्तुत करने के पूर्व गत माह के प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को किये गये भुगतान की सूची मय बैंक डिटेल के दो प्रतियों में संलग्न कर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि उक्त सूची प्रस्तुत नहीं की जाती है तो निविदाकार पर प्रतिकर्मचारी 100/- के मान से अर्थदण्ड लगाया जायेगा, जिसकी पूर्ति प्रस्तुत देयक से की जायेगी
23. किसी भी शर्त का उल्लघन करने पर निविदाकार की सुरक्षानिधि राजसात कर निविदाकार को ब्लेकलिस्टिंग की कार्यवाही करने का अधिकार कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा।
24. निविदाकार द्वारा जो दरें प्रस्तुत की जावेगी उसमें सभी प्रकार के खर्चे शामिल होगें पृथक से निविदाकार को किसी भी खर्च का भुगतान नही किया जायेगा।
25. तैनात किये गये सुरक्षाकर्मी किसी भी प्रकार की स्टॉफ यूनियन या अन्य कोई संगठन में शामिल नही होगा उक्त शर्त का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लघन करने पर निविदाकार पर निविदा की कुल लागत का 1 प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
26. निविदा की अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार के भुगतान के लिये या अन्य दायित्वों के लिये जवाबदार/ बाध्य नही होगी।
27. यदि निविदाकार उक्त अनुबंध को स्वेच्छा से किसी भी समय समाप्त करना चाहता है तो उसे कम से कम 3 माह पूर्व इस बाबत सूचना देना अनिवार्य होगी।
28. निविदाकार द्वारा कार्यदेश जारी होने को दो दिवस पूर्व प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की व्यक्तिगत नस्ती जिसमे प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का चरित्र सत्यापन, मेडिकल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, पुलिस वेरीफिकेशन, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो), नियुक्ति दिनांक, बैंक खाता नं. ई. पी. एफ. खाता नम्बर (यू. ए. एन. नम्बर एवं रजिस्टर्ड मोबाईल नं.) ई. एस.आई. सी. खाते की जानकारी तथा अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा।जमा नहीं करने या गलत / झूठी जानकारी प्रस्तुत करने पर निविदा निरस्त कर ब्लेक लिस्टिंग की कार्यवाही की जावेगी।
29. निविदाकार द्वारा वर्ष में एक चार प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को श्रम नियमानुसार बोनस देना अनिवार्य होगा। न देने की दशा में प्रति सुरक्षाकर्मी के बोनस के मान से जमा सुरक्षानिधि अथवा देयक से कटौत्रा किया जाकर सबंधित सुरक्षकर्मीयों को भुगतान किया जा सकेगा।
30. यदि कोई भी सुरक्षाकर्मी निर्धारित पूर्ण गणवेश में उपस्थिति नहीं होता या आपने निर्धारित स्थान पर अनुपस्थित पाया जाता है तो प्रति सुरक्षाकर्मी 200 /- रुपये के मान से अर्थदण्ड अधिरोपित कर उक्त माह के देयक से काटा जावेगा।
31. निविदाकार को प्रत्येक माह की पहली दिनांक को अनिवार्य रूप से प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को वेतन माह की 1 से 5 तारीख के मध्य भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि 5 तारिख के बाद वेतन भुगतान किया जाता है तो प्रत्येक अतिरिक्त दिवस 5,000/- रुपये के मान से अर्थदण्ड अधिरोपित कर उक्त माह के देयक में से काटा जावेगा।
32. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज स्वप्रमाणित मय सील के होने चाहिए।
33. निविदा खुलने की दिनांक को निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन हेतु ओरिजनल कॉपी साथ में लाना अनिवार्य होगा।
34. स्वीकृत निविदाकार द्वारा किसी भी दशा में उक्त निविदा / कार्य किसी अन्य सुरक्षा संस्था / एजेन्सी को हस्तांतरित (सबलेट) नहीं किया जा सकेगा ऐसा किये जाने पर स्वीकृत निविदाकार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

35. कार्य के दौरान निविदाकार द्वारा किसी भी आदेश / निर्देश व निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो नियमानुसार निविदाकार को कारण बताओं नोटिस उसके अधिकृत ई मेल आई डी पर भेजा जायेगा।कारण बताओं नोटिस के समयावधि में जवाब प्रस्तुत न करने या संतोषप्रद जवाब न होने की स्थिति में कुलसचिव महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन को यह अधिकार होगा की संस्था की निविदा को निरस्त कर जमासुरक्षानिधि राजसात कर ब्लैकलिस्टेड करने की कार्यवाही कर सकें।

36. निविदा / अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत पेनॉल्टी क्लॉस का नियमित उल्लघन किये जाने पर तथा उसके समाधान कारक जवाब प्रस्तुत न करने व युक्तियुक्त अवसर के बावजूद भी बार बार उक्त का उल्लघन होने पर अनुबंध निरस्त की प्रक्रिया की जाकर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा तथा जमा सुरक्षानिधि राजसात कर संस्था को ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के पास सुरक्षित होगा।

37. निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने के 30 दिवस में नियमानुसार उज्जैन श्रमायुक्त कार्यालय उज्जैन से संविदा श्रम अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगी, अन्यथा श्रम विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

38. निविदा में उल्लेखित आवश्यक सामग्री स्टेशनरी, मातृत्व लाभ कामगार क्षतिपूर्ति एवं सर्विस चार्ज सहित की प्रतिमाह की ऑफर प्रतिशत में होगी तथा जो ऑफर निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा वो 2 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए तथा प्रतिशत में दी जाने वाली संख्या दशमलव के बाद दो अंको तक ही मान्य होगी।

39. निविदाकार का देयक सर्कल प्रतिमाह 1 से 30/31 का रहेगा, प्रतिमाह भुगतान हेतु प्रस्तुत देयक के साथ चैकलिस्ट के अंतर्गत देयक दो प्रति में ई.पी.एफ चालान मय ई.सी. आर., ई. एस.आई.सी. चालान मय ई.सी.आर. वैजेस शीट, बायोमेट्रिक उपस्थिति पत्रक, सुरक्षाकर्मियों को किये गये वेतन भुगतान बैंक स्टेटमेंट पत्रक अनिवार्य रूप से जमा कराने होगे। साथ ही देयक में प्रचलित दर. ई.पी.एफ. प्रतिशत, ई. एस.आई. सी. प्रतिशत सर्विस चार्ज एवं जी. एस. टी प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख होना भी अनिवार्य होगा।

कुलसचिव
महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक
विश्वविद्यालय, उज्जैन